

कुमाऊँ हिमालय के जनपद बागेश्वर में भूमि उपयोग एवं पर्यावरणीय जोखिम

Land Use and Environmental Risk in Bageshwar District of Kumaon Himalaya

Paper Submission: 12/07/2020, Date of Acceptance: 25/07/2020, Date of Publication: 26/07/2020

सारांश

जनपद बागेश्वर में भूमि उपयोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया है। जिसमें स्पष्ट हो जाता है। कि यह क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अतिसंवेदनशील है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल में कमी पायी गयी है, कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लिया गयी भूमि में भी कमी पायी गयी एवं परती भूमि, आदि में कमी पायी गयी है। क्षेत्र में कृषि योग्य बंजर भूमि, अन्य परती भूमि, उसर एवं कृषि अयोग्य भूमि, चारागाह, आदि बागों वा झाड़ियों में वृद्धि पायी गयी है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि निम्न पर्यावरणीय समस्याएँ भविष्य में हो सकती हैं। वातावरणीय दृष्टि से पर्यावरण एवं जलचक्र भी प्रभावित हो रहा है जिससे नदी-नालों का जल कम हो जाता है। कहीं-कहीं गंधेरे या नाले सूख रहे हैं। तापमान बढ़ने से हिमनद (ग्लेशियर) भी प्रभावित हो रहे हैं जिससे पर्यावरण असंतुलन को बढ़ावा मिल रहा है और समस्त जीव जगत प्रभावित हो रहा है। विगत दो दशकों से जिस प्रकार से भूमि उपयोग का स्वरूप परिवर्तित हुआ है वह अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग का स्वरूप मुख्य रूप से कृषि भूमि से खनन, पत्थर खनन एवं सड़क निर्माण आदि की ओर परिवर्तित हुआ है वह अत्यधिक पारिस्थितिकीय बदलाव को प्रदर्शित करता है जो पर्यावरणीय जोखिम की ओर इंगित करता है।

Land use in Bageshwar district has been studied from scientific point of view. In which it becomes clear. That this area is susceptible from environmental point of view. Reduction has been found in the net sown area, in addition to agriculture, there has been a decrease in the land used and a reduction in fallow land, etc. In the area, arable wasteland, other fallow land, Usar and ineligibile land, pasture, etc. There have been increase in orchards or bushes. Which makes it clear that the following environmental problems may occur in the future. Environmentally and water cycle is also being affected from the environmental point of view, due to which the water of the river drains is reduced. Somewhere the donkeys or sewers are drying up. Glaciers (Glaciers) are also being affected due to the rise in temperature, which is promoting the environment imbalance and affecting the entire living world. The way in which the pattern of land use has changed over the last two decades, the nature of land use in the study area has changed from mainly agricultural land to mining, stone mining and road construction etc., it shows a lot of ecological change which Indicates environmental risk.

मुख्य शब्द : भूमि उपयोग, कुमाऊँ हिमालय, पर्यावरणीय, कृषि।

Land Use, Kumaon Himalayas, Environmental, Agriculture.

प्रस्तावना

भूमि उपयोग के अन्तर्गत किये गये परिवर्तनों को भूमि परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। धरातलीय आकृति बदलती रहती है, जिसे साधारण शब्दों में परिवर्तन कहते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन का महत्वपूर्ण भाग है, जो मानव के आर्थिक विकास सामाजिक विकास या सांस्कृतिक विकास करती है। अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग परिवर्तन एक वृहद एवं व्यापक कर देती है, जिसके अन्तर्गत वन, वनस्पति, पहाड़, पठार, घाटी, चारागाह, मैदान, कृषि भूमि, नदियां आदि प्राकृतिक परिदृश्यों आदि भूमि में सम्मिलित की जाती है।



भरत कुमार

शोधकर्ता

भूगोल विभाग,

डी0एस0बी0 परिसर,

कुमाऊँ विश्वविद्यालय,

नैनीताल, उत्तराखण्ड, भारत

परिकल्पना

1. कृषि क्षेत्र का विस्तार एवं मानव आवासों ने वन क्षेत्रों को प्रभावित किया है।
2. सड़क मार्गों के निर्माण से वन एवं कृषि क्षेत्र में कमी आ रही है।
3. ईंधन आपूर्ति एवं इमारती लकड़ी के लिए वनों पर निर्भर।
4. खनन कार्य से कृषि भूमि में कमी एवं बंजर भूमि बढ़ रही है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. भूमि उपयोग का वैज्ञानिक अध्ययन कर वर्तमान स्थिति ज्ञात करना।
2. प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने की योजना पर सुझाव।
3. जनपद में भूमि उपयोग का वर्गीकरण एवं तुलनात्मक अध्ययन।
4. जनपद में भूमि उपयोग के क्षेत्र में बदलते पस्थितियों में पर्यावरणीय जोखिमों का अध्ययन।

साहित्यावलोकन

विश्व में प्राचीन काल से चली आ रही भूमि उपयोग शोध कार्यक्रम अनेक भूगोलवेत्ताओं का सफल प्रयास माना जाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन की व्यवस्था तथा कृषि को विकसित करने के लिए खोज की जाती है जो कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही है। भूमि उपयोग धरातल की अपनी विशेषता होती है, जिसमें मानव सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा भू-दृश्यों का विकास करता है, जिसमें मानव संसाधनों के प्रयोग से कृषि कार्य या अन्य व्यवसाय प्रारम्भ करता है। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय या अन्तरराष्ट्रीय स्तर में भूमि उपयोग का विकास करने के लिए एवं कृषि विकास ग्रामीणों सामाजिक, आर्थिक पहलुओं का वैज्ञानिक विधि से करने के लिए अनेक भूगोलवेत्ताओं द्वारा प्रयास किया गया है कृषि क्षेत्र में विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिनका विवरण निम्नलिखित है—


1. यादव प्रहलाद सिंह 2013— देवकली विकास खण्ड गाजीपुर में भूमि उपयोग का सूक्ष्म अध्ययन कर आवासों की सामान्य विशेषताओं का वर्गीकरण एवं वितरण प्रणाली का वर्णन किया गया है। देवली विकास खण्ड के मैदानी भू-भागों व दक्षिणी सीमा गंगा नदी प्रवाह और जलोढ़ मृदा आदि का भौगोलिक अध्ययन किया गया है।

2. कुमार विनोद 2013— अकबरपुर विकास खण्ड (जनपद अम्बेड़कर नगर) के परिवर्तित भूमि उपयोग का भौगोलिक अध्ययन कर क्षेत्रीय भूमि उपयोग विकास की गतिविधियों का वर्णनात्मक अध्ययन कर क्षेत्रीय भूमि उपयोग की समस्याओं का समाधान निकाला गया है। और सतत विकास पर जोर देते हुए निरन्तर उपयोग में लाये जाने का प्रस्तुत विवरण का वर्णन कर स्पष्ट किया गया है।
3. सिंह विचित्र वीर 2000— बाँदा जनपद के ग्रामीण अधिवासों का भौगोलिक अध्ययन के द्वारा ग्रामीण अधिवासों की उत्पत्ति एवं वर्तमान अधिवासों का प्रतिरूप के साथ तुलना करते हुए आदि समस्याओं का ऐतिहासिक अध्ययन किया गया है।
4. मिश्र दिनेश, 2003— ग्रामीण रूपान्तरण में ग्रामीण अभिजनों की भूमिका एवं चन्दौली जनपद के थानपुर विकास खण्ड के सामाजिक शास्त्री अध्ययन कर ग्रामीण रूपान्तरण के सामाजिक कारकों में विशेष शक्तियों, औद्योगिकरण, नगरीकरण, कृषि यंत्रीकरण, नवीन योजनाओं आर्थिक सामाजिक राजनीतिक पक्षों का अध्ययन किया गया है।
5. हरेराम 2006 के अनुसार— चुनार तहसील में परिवर्तित भूमि उपयोग प्रतिरूप का भौगोलिक अध्ययन वन एवं कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत प्रयुक्त भूमि एवं उप भूमि का विभाजन कर भूमि उपयोग परिवर्तन का विश्लेषण किया गया है।
6. यादव केदार नाथ 2006— हमीदपुर जनपद का भौगोलिक अध्ययन (जनसंख्या वृद्धि एवं कृषि उत्पादकता नियोजन) का क्षेत्रीय जनसंख्या के बढ़ती आवादी के लिए कृषि उत्पादकता का सामंजस्य स्थापित करने की कोशिस की गयी है। जिसका उन्होंने सविस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है।

स्थिति एवं विस्तार—

क्षेत्र में कुमाऊँ हिमालय स्थिति जनपद बागेश्वर अवस्थिति है। बागेश्वर उत्तराखण्ड के पूर्वी भाग में 29° 42' 4" उत्तरी अक्षांश 30° 18' 56" उत्तरी अक्षांशों तथा 19° 28' 17" पूर्वी देशान्तर से 80° 9' 4" पूर्वी देशान्तरों के मध्य 2246 वर्ग किमी क्षेत्रफल में स्थिति है। इसके उत्तर-पूर्व में चमोली-पिथौरागढ़, पूर्व में पिथौरागढ़, पश्चिम में चमोली, दक्षिण में अल्मोड़ा जनपद स्थित है। इसी प्रकार इसमें तीन विकास खण्ड हैं—बागेश्वर, कपकोट, गरूड़। जनपद में 6 तहसीलें हैं। बागेश्वर, काफलीगैर, काण्डा, दुगनाकुरी, गरूड़, कपकोट आदि।

चित्र संख्या 1: जनपद बागेश्वर स्थिति एवं विस्तार :- 2011



स्रोत- भारतीय सर्वेक्षण विभाग(टोपोशीट नं० 53n/15, 62b/3, 53n/8, 53n/12,

53n/16, 62b/4, 53o/5, 53o/9, 53o/13, 62c/1, 53o/10, 53o/14)।

भूमि उपयोग का बदलता प्रतिरूप तथा इसके पर्यावरणीय जोखिम

जनपद में भूमि उपयोग को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है।

वन क्षेत्र

जनपद बागेश्वर में 2009-10 से 2014-15 तक वन क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं पाया गया है। बागेश्वर जनपद में वनों का क्षेत्रफल 110160 हे० 52.98 प्रतिशत भाग में वनाच्छादित है जो जनपद के आधार पर अधिक है जो पहाड़ी ढलानों एवं पर्वतों में एवं कम ढलान वाले क्षेत्रों में क्षेत्रफल इन वनों से घिरा हुआ है। इन वनों में

चीड़ का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। इसके बाद बांज का क्षेत्रफल आता है। कपकोट तहसील में वनों का क्षेत्रफल अधिक पाया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में वनों का वितरण विकासखण्ड के आधार पर देखा जाए तो कपकोट 59.80 प्रतिशत वन क्षेत्र है। बागेश्वर 10.92 प्रतिशत, गरुड़ 11.96 प्रतिशत लगभग बराबर पाया गया है। जिससे जनपद में वन विभाग के पास आरक्षित वन 18.07 प्रतिशत वन पाया गया है ये सभी वन पर्वतीय वन के नाम से जाने जाते हैं। कपकोट को उच्च श्रेणी वनों के क्षेत्र के रूप में दर्शाया जा सकता है। बागेश्वर, गरुड़-बैजनाथ निम्न श्रेणी में रखा जा सकता है।

ता० सं० 1: भूमि उपयोग का बदलता प्रतिरूप में अन्तर 2009-10 2014-15

क्र०सं०	भूमि उपयोग वर्गीकरण	2009-10		2014-15		अन्तर प्रतिशत
		हेक्टेयर	प्रतिशत	हेक्टेयर	प्रतिशत	
1	कुल प्रतिवेदित क्षेत्र	207902	100.00	207902	100.00	0.00
2	वन	110160	52.98	110160	52.98	0.00
3	कृषि योग्य बंजर भूमि	14096	6.81	10917	5.25	-1.56
4	वर्तमान परती	2028	0.97	1333	0.64	-0.33
5	अन्य परती	1831	0.88	1956	0.94	+0.6
6	उसर एवं कृषि अयोग्य भूमि	6275	3.01	6502	3.12	+0.01
7	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि	5132	2.46	4725	2.27	-0.19
8	चारागाह	19810	9.52	21439	10.31	+0.79
9	बागों, वृक्षों एवं झाड़ियों का क्षेत्र	24645	11.85	28119	13.52	+1.67
10	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	23925	11.50	22751	10.94	-0.56

स्रोत- संख्यिकी पत्रिका बागेश्वर, 2009-2015,

कृषि योग्य बंजर भूमि

जनपद बागेश्वर में कृषि योग्य बंजर भूमि के अन्तर्गत सन् 2009 से 2015 तक पिछले सात वर्षों में $14098-10917 = 3181$, $(6.81-5.25 = -1.56)$ प्रतिशत हेक्टेयर भूमि की कमी हुई है। वर्तमान में कृषि योग्य बंजर भूमि में निरन्तर कमी आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। क्षेत्र में इस तरह की भूमि कई वर्षों से बंजर छोड़े गये हैं जिसमें घास, झाड़ियों उग आई हैं। वर्तमान में इस प्रकार की भूमि में आवास, सड़कों का निर्माण, या खनन होने से यह भूमि प्रयोग में लाया गया है। कृषि योग्य बंजर भूमि का अधिकांश भाग चारागाह या अन्य भूमि के रूप में प्रयोग पाया गया है।

वर्तमान परती भूमि

वर्तमान परती भूमि जनपद में इस क्षेत्र का विस्तार 2028 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। जो 0.97 प्रतिशत यह लगभग एक प्रतिशत के बराबर है। सन् 2015 में 1333 (0.64 प्रतिशत) हेक्टेयर भूमि है। जो 2015 में घटकर वर्तमान परतीय भूमि 695 (-0.33 प्रतिशत) हेक्टेयर भूमि में कमी आ जाती है। जिससे इस क्षेत्र में सात वर्षों में भूमि परिवर्तन के आंकड़े प्राप्त हुए हैं। यह भूमि में कमी आने का मुख्य कारण क्षेत्र में अधिकांश भाग असिंचित पाया जाता है। जिससे यह चारागाह के रूप में प्रयोग में लाया गया है।

अन्य परतीय भूमि

अन्य परतीय भूमि के अन्तर्गत जनपद में 1831 (0.88 प्रतिशत) हेक्टेयर भूमि पाई गई है। जो 2015 में 1956 (0.94 प्रतिशत) हेक्टेयर भूमि पाई गयी गयी है। जिसका क्षेत्रफल 2009 से 2015 तक सात वर्ष में 125 (0.6 प्रतिशत) हेक्टेयर भूमि में वृद्धि हुई है। जो पिछले आंकड़ों के अधार पर यह भूमि

उसर एवं कृषि अयोग्य भूमि

उसर एवं कृषि अयोग्य भूमि एक ऐसा भू-भाग है। जो कृषि अयोग्य भूमि है जिसमें कृषि नहीं की जा सकती है। इस प्रकार की भूमि का क्षेत्रफल 2009 में

6275 (3.01 प्रतिशत) हेक्टेयर भूमि है। जो पिछले सन् 2015 की तुलना में 6502 (3.12 प्रतिशत) हेक्टेयर भूमि में +227 (+0.01 प्रतिशत) भूमि कीबढ़ोतरी हुआ है। यह कहा जा सकता है कि उसर एवं कृषि अयोग्य भूमि में बढ़ोतरी आयी है। जिससे वर्तमान में इस प्रकार के भूमि का उपयोग भविष्य में विस्तार होने की संभावनाएं बनी होती है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसर एवं कृषि अयोग्य भूमि का नियोजन नहीं किया गया तो भविष्य में परती भूमि, कृषि अयोग्य भूमि के रूप में जाना जाएगा।


कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि

क्षेत्र में इस प्रकार की भूमि का विस्तार अनेक प्रकार के वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे आवासीय भूमि, खेल का मैदान, सड़क, रास्ते, आँगन आदि सम्मिलित किया गया है। इस तरह की भूमि का विस्तार सन् 2009 में 5132 (2.46 प्रतिशत) हेक्टेयर भूमि है। जो वर्तमान 2015 में 4725 (2.27 प्रतिशत) हेक्टेयर भूमि बढ़कर, जो वर्तमान में -407 (-0.19 प्रतिशत) हेक्टेयर भूमि कमी हुयी है। जनपद में भूमि आ रही है। यह क्षेत्रों में पर्वतीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पाई गयी है। यहा से लोगों के द्वारा लिया गया प्रवास या खनन कार्य के बाद यह भूमि उसर भूमि के रूप में परिवर्तन हो जाती है। यह भूमि चारागाह व झाड़ियों में परिवर्तन हो रही है।

चारागाह

जनपद में चारागाहों का क्षेत्रफल के आंकड़ों में वृद्धि पाया गया है। सन् 2009 में चारागाहों का क्षेत्रफल 19810 (9.52 प्रतिशत) हेक्टेयर भूमि है। जो 2015 के आंकड़ों में बढ़ोतरी पायी गयी है। पिछले दशक में 21439 (10.31 प्रतिशत) हेक्टेयर भूमि में बढ़ोतरी +1629 (+0.79 प्रतिशत) हुयी है। क्षेत्र में चारागाह का विस्तार बढ़ने की संभावनाएं हो रही हैं क्योंकि कृषि भूमि, परती भूमि, आदि कृषि के अतिरिक्त उपयोगी भूमि में कमी होने कारण चारागाहों में वृद्धि हुई है।

चित्र संख्या 2 : भूमि उपयोग का बदलता प्रतिरूप में अन्तर-2011



स्रोत- भारतीय सर्वेक्षण विभाग(टोपोशीट नं० 53n/15, 62b/3, 53n/8, 53n/12, 53n/16, 62b/4, 53o/5, 53o/9, 53o/13, 62c/1, 53o/10, 53o/14)।

बागों, वृक्षों एवं झाड़ियों का क्षेत्रफल

जनपद में बागों, वृक्षों एवं झाड़ियों के अन्तर्गत चाय बागान, आम के बागान, नासपाती के बागान, छोटे झाड़ियों आदि अन्य फलों को सम्मिलित किया गया है। इस तरह की भूमि का क्षेत्रफल सन् 2009 में 24645 (11.85) प्रतिशत हेक्टेयर भूमि थी। जो वर्तमान में 2015 में 28119 (13.52) प्रतिशत हेक्टेयर भूमि पिछले आंकड़ों से वर्तमान आंकड़ों में +3474 (+1.67) प्रतिशत हेक्टेयर भूमि में वृद्धि हुयी है। बाग बगीचों का अध्ययन से ज्ञात होता है कि पिछले सात वर्षों में बागों, झाड़ियों का सबसे अधिक क्षेत्रफल में वृद्धि पायी गयी है। इसका मुख्य कारण कृषि क्षेत्र में कमी, कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि, आदि का इस क्षेत्र का विस्तार होने की संभावनाएँ पाई गयी हैं।

शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल

जनपद में कृषि का वितरण अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग देखने को मिलता है। यह क्षेत्र का अधिकांश भाग असिंचित पाया गया है। सन् 2009 में 23925 (11.50) प्रतिशत हेक्टेयर भूमि पायी गयी है। जो सन् 2015 में 22751 (10.94) प्रतिशत हेक्टेयर रह गयी है। 2009 से 2015 तक शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल में कुल 1174 हेक्टेयर तथा 0.56 प्रतिशत भूमि में कमी आयी है। जो वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए खाद्य आपूर्ति में कमी होने की संभावनाएँ बढ़ सकती है। जिससे शुद्ध बोया गया क्षेत्र में कमी पायी गयी है। जनपद में अध्ययन से ज्ञात होता है कि 2009 से 2015 के बीच में सड़कों एवं आवासों का निर्माण हुआ है। जो कृषि योग्य भूमि में बनाये जा रहे हैं जैसे- बड़े-बड़े सेरे, मण्डल सेरा, कपकोट सेरा, बिलौना सेरा, आदि अन्य सेरों में आवासों निर्माण वर्तमान में भी निर्माणधीन अवस्था में पाया गया है।

पर्यावरणीय जोखिम

जनपद बागेश्वर में वनों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया है। जिसमें स्पष्ट हो जाता है। कि यह क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अतिसंवेदनशील है। उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल में कमी पायी गयी है, कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लिया गयी भूमि में भी कमी पायी गयी एवं परती भूमि, आदि में कमी पायी गयी है।

क्षेत्र में यह अत्यधिक पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय जोखिम की ओर इंगित करता है, जो निम्नलिखित है—

कृषि भूमि में कमी

कृषि क्षेत्र में जनपद में सन् 2009 एवं 2015 के मध्य अध्ययन से ज्ञात होता है कि परती भूमि एवं शुद्ध बोया गया क्षेत्र में क्रमशः 0.33 प्रतिशत एवं 0.56 (1174 हेक्टेयर) प्रतिशत कमी आयी है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में आवास निर्माण, खनन, सड़क निर्माण कार्य आदि अन्य कार्य प्रगति पर हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक यथा सिंचाई की असुविधा, कहीं सूखा तो कहीं खनन, कहीं सेरों (मैदान) में आवासों का निर्माण तीव्रगति से होने के कारण अध्ययन क्षेत्र में भूमि-उपयोग में परिवर्तन निरन्तर वृद्धि हो रही है जैसे— आवास निर्माण में क्षेत्रफल कुल 2246 है 0 तथा खनन में क्षेत्रफल कुल 626.6 है 0 भूमि सलंगन है जिससे कृषि क्षेत्र में खनन क्षेत्र बढ़ने की सम्भावनाएं क्षेत्र में खडिया भण्डार को देखकर विस्तार बढ़ने की सम्भावनाएं बनी हुई हैं। जैसे— काण्डा, रीमा—पचार, पपों—रताईस, दफोट, फरसाली वल्ली—पल्ली, दफोड़, ढप्टी आदि क्षेत्रों में खनन कार्य हो रहा है जिससे यह सम्भावनाएं बनी हुई हैं दुसरी ओर सिंचित क्षेत्रों में जैसे— मण्डल सेरा, विलौना सेरा, सेज सेरा, कठायतबाड़ा, कपकोट सेरा, आदि में आवास, सड़क, टंकी, आदि का विनिर्माण किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप अध्ययन क्षेत्र में कृषि भूमि की कमी आ रही है। उपरोक्त असन्तुलित भूमि-उपयोग में परिवर्तन भविष्य में प्राकृतिक रूप से मानव के लिए जोखिम को और अधिक बढ़ा सकता है।

प्राकृतिक जल स्रोतों में कमी (जल संकट)

जनपद में जिस तरह विकास कार्यों में गतिशीलता पायी गयी है। अध्ययन क्षेत्र के काण्डा, रीमा—पचार, पपों—रताईस, दफोट, फरसाली वल्ली—पल्ली, दफोड़, ढप्टी आदि क्षेत्रों में अत्यधिक खनन कार्य हो रहा है जिससे छोटे-छोटे प्राकृतिक जल स्रोत, नौले, छोटी जल-धाराएं सूखने लगी हैं जिससे ग्रीष्म काल में जल संकट की स्थिति बन रही है। जनपद में बढ़ती जनसंख्या के कारण जिस तरह जनसंख्या क्षेत्र में घनता पायी गयी है जिससे प्राकृतिक स्रोतों पर दबाव बढ़ने की संभावनाएं हैं, जिससे नदियों के किनारे बसे आवासों, नगरों, गाँव प्रभावित हो रहें हैं। यही स्थिति रही तो भविष्य में जल पीने योग्य नहीं रहेगा और विमारी फैलने की सम्भावनाएं अधिक होंगी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में खनन कार्य प्राकृतिक स्रोतों को ध्यान में रखकर किया जाना

चाहिए, जिससे पर्यावरणीय जोखिम कम किया जा सकता है।

वनों में अग्नि का प्रकोप

अध्ययन क्षेत्र जनपद में जनपद के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 52 प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है जिसमें सबसे अधिक चीड़, बॉज, व झाड़ियां पायी जाती हैं। क्षेत्र में चारागाह भूमि व झाड़ियों का क्षेत्रफल में वृद्धि पाई गयी है। जिससे जानवरों के चारे के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। क्षेत्र में चीड़ का (पिरूल) के कारण घास दब जाती है और ग्वालों के द्वारा अच्छी घास के लिए वनों में पिरूल में आग लगा दी जाती है। जिससे पर्यावरण में धुआ और धुन्ध के कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है। क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष वनों में आग लगने की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जिसमें चीड़ के पेड़ सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। चीड़ के पेड़ों से लीसा निकालने के पश्चात् गर्मियों में यह आग से झुलस कर टुट जाते हैं। जिससे आधी तूफान के कारण ये पेड़ टुटकर गिर जाते हैं जिससे वनों में वनों की कमी हो सकती है जिससे पर्यावरण पर खतरा हो सकता है जिससे समस्त पारिस्थितिकीय चक्र प्रभावित हो सकता है।

सूखा प्रभाव

धरातल के साथ मानव द्वारा छेड़-छाड़ करता रहता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। उदाहरण के लिए पेड़ काटना, पहाड़ खोदना, सड़क बनाना, खनिज खोदना, भूमिगत जल बाहर निकालना, वनों में आग लगाना, नदियों में बांध बनाना आदि। कार्य तेजी के साथ हो रहा है। मानव कृत्रिम निर्माण का विकास के लिए प्राकृतिक विनिर्माण का विनाश करता है जिससे पर्यावरण अत्यधिक प्रभावित हुआ है, जिससे कहीं-कहीं या ग्रामीणों क्षेत्रों में सूखा पड़ने या शीतकाल में सूखा पड़ने की सम्भावनाएं होती हैं। क्षेत्र में शीतकाल वर्तमान में गेहूँ की फसल को सूखे की समस्या से जूझना पड़ रहा है ये समस्याएं अत्यधिक पहाड़ी क्षेत्रों में जब नाले सूख जाते हैं और वर्षा नहीं हो पाती है। ग्रामीण सूखे की मार से काफी नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे गेहूँ की फसल क्षेत्र में प्रभावित होती है और उत्पादन में गिरावट पायी गयी है।

चारागाह एवं बागों व झाड़ियों का क्षेत्र में वृद्धि

चारागाह वे क्षेत्र होते हैं जिसमें जानवरों को चुगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। झाड़ियां बंजर भूमि में उगने वाले पौधे होते हैं जिसमें अधिक टहनियां निकली होती हैं जो अधिक क्षेत्र में फैले होते हैं। क्षेत्र में इन वर्गों का क्षेत्रफल में वृद्धि पायी गयी है उपर्युक्त तालिका 3.3 के आधार पर चारागाहों में 0.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसमें से बागों व झाड़ियों में 1.67 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी है जिससे पर्यावरण की दृष्टिकोण से यह हानिकारक हो सकता है क्योंकि क्षेत्र में घास के लिए वनों चारागाहों में आग लगा दिया जाता है। क्योंकि घास का क्षेत्र वनों के आस-पास या वनों में मिश्रित रूप में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में घास उत्पादन के लिए आग लगा दी जाती है। जिससे प्रतिवर्ष आग लगने की घटना होती रहती है जिससे पर्यावरण प्रदूषण फैलता है।

निष्कर्ष

1. उपरोक्त अध्ययन ज्ञात होता है कि जनपद में उक्त आकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है। कि भविष्य में कृषि क्षेत्र में भारी कमी हो सकती है जिससे खाद्य पदार्थों में कमी हो सकती है।
2. अध्ययन क्षेत्र में शहर से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तर-पूर्व में खनिज एवं भण्डार अधिकांशतः कृषि क्षेत्रों में ही पाया गया है। दुसरी तरफ मानव अधिकांश कृषि योग्य भूमि (सेरों) की तरफ अधिवास बनाने को आकर्षित हो रहा है। जिससे आवासीय क्षेत्र बढ़ने से सेरों में कृषि भूमि में कमी आ रही है, जिससे ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में कृषि पर खतरा हो रहा है इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि क्षेत्र में उसर एवं कृषि अयोग्य भूमि का विस्तार वर्तमान में अधिक बढ़ रहा है। और भविष्य में और अधिक बढ़ने की संभावनाएँ हैं।
3. जनपद में अधिकांश भाग वनों में चीड़ का होने एवं झाड़ियों का निरन्तर विस्तार होने से समय-समय पर अग्नि का प्रकोप इन वनों में देखने को मिलता है। जिस कारण झाड़ियों को काटने एवं जलाने की क्रिया से वनों में आग लगने की आसंका बनी रहती है। जिससे पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावनाएँ अधिक बनी रहती हैं।
4. अध्ययन क्षेत्र में वर्तमान में भी कृषि पुरानी पद्धति या परम्परागत रूप से कृषि की जा रही है। जिसमें सतत् विकास का अभाव पाया गया है। कृषि क्षेत्र में लागत एवं आगत में नकारात्मक सम्बन्ध होने से लाभ प्राप्त नहीं के बराबर हो रही है। जिस कारण किसानों में उदासीनता का कारण पायी गयी है, जिस कारण कृषकों द्वारा कृषि भूमि बंजर छोड़ी जा रही है। कृषकों को कृषि सम्बन्धी नयी जानकारी का अभाव पाया गया है। जिस कारण बीजों को वैज्ञानिक तरिके से नहीं बोया जाता है। तथा अधूरी जानकारी होने से कृषि भूमि का सही उपयोग करना वर्तमान में कृषि क्षेत्र में एक समस्या हो रही है।
5. जनपद में अधिकांश घरों में पलायन के कारण कृषि योग्य भूमि में झाड़ियों उगने से इस क्षेत्र में विस्तार पाया गया है। और साथ ही साथ में चारागाहों में

वृद्धि पायी गयी है। जिससे इसका प्रत्यक्ष प्रभाव मानव पर पड़ सकता है। क्योंकि जनपद का अधिकांश भाग असिंचित पाया गया है। जिस कारण कृषि भूमि परती भूमि में बढ़ोतरी पायी गयी है।

सुझाव

1. कृषि योग्य बंजर भूमि का पुनः उपयोग,
2. कृषि भूमि का वैज्ञानिक विधि से उपयोग,
3. यातायात के साधनों एवं सड़कों का विनिर्माण,
4. शिक्षा में प्राथमिक स्तर एवं शिक्षा में सुधार,
5. जनपद में संसाधनों का सदुपयोग,
6. खनिज पदार्थों का उपयोग,
7. पशु शक्ति को बढ़ावा देना,
8. कृषि से सम्बन्धित रोजगारों को बढ़ावा देना।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डुडले स्टाम्प ने (1930-31) में ब्रिटेन में भूमि उपयोग एवं दुरप्रयोग संकल्पना।
2. मो0 शफी (2006) कृषि भूगोल।
3. फोक्स एवं कुमार, विनोद- (2013) अकबरपुर विकास खण्ड (जनपदअम्बेडकर नगर) के भूमि उपयोग काएक भौगोलिक अध्ययन,(शोध प्रबन्ध),पेज न0 77।
4. कुमार ,विनोद- (2013) अकबरपुर विकास खण्ड (जनपदअम्बेडकर नगर)के भूमि उपयोग काएक भौगोलिक अध्ययन, (शोध प्रबन्ध),पेज न0 77।
5. चर्तुरभुज, सिसौदिया (2010-11) आर्थिक भूगोल, एस0बी0पी0डी0 पब्लिकेशन - आगरा मथुरा बाईपास रोड, पे0न0 341-42।
6. सिंह, विचित्र वीर- (2000) बंदा जनपद के ग्रामीण अधिवासों का भौगोलिक अध्ययन,(शोध प्रबन्ध) पेज न0 1-6।
7. वानब्यूनेन एवं कुमार ,विनोद- (2013) अकबरपुर विकास खण्ड (जनपदअम्बेडकर नगर) के भूमि उपयोग काएक भौगोलिक अध्ययन, (शोध प्रबन्ध), पेज न0 13,14,15।
8. हरेराम, (2006) : चुनार तहसील में परिवर्तित भूमि जापयोग प्रतिरूप एकभौगोलिक अध्ययन (शोध प्रबन्ध), पे0 न0- 99,।
9. डॉ0 बलराम- (2011) ग्रामीण अधिवासों की उत्पत्ति एवं विकास, पेज न0 23।